Annexure-

FORM-1

(for linear projects)

Government of Uttarakhand

Office of the District Collector Garhwal

No..3110/26-स्था० प्रशा० अधि० — 2014-015

Dated ..15/5/2015

TO WHOM SOEVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment and Forest (MoEF), Government of India's letter No. 11-9/98-FC (pt.) dated 3rd Augest 2009 wherin the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 ("FRA", for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MoEF's letter dated 5th February 2013 wherein MoEF issued certain relaxation in respect fo linear project, it is certified that **1.485 hectares** of forest land proposed to be diverted in favour of **construction of Bhandari Gaon Garhsera Motor Road from Km. 14 of Dehalchori-Pauri Motor Road in Pauri distirct, Block Pauri** falls with in jurisdiction of **Dobha** village (s) in **Pauri** tehsils.

It is further certified that :

(a) The Complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire **1.485 hectares** of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consultation and meetings of the Forest Rights Committee(s), Gram Sabha(s), sub-Division Level Committee(s) and the District Level Committee are enclosed as **annexure 01 to annexure 02.**

(b) The diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3(2) of the FRA have been completed and the Gram Sabhas have given their consent to it,

(c) The proposal does not involve recognised rights of Primitive Tribal Groups and Pre-agricultural communities.

Encl: As above.

(Chandra Shekhar Bhatt)

District Collector Garhwal

DM/Collector

Garhwal

Annexure-II

FORM-1

(for linear projects)

Government of Uttarakhand

Office of the District Collector Garhwal

No...3110/26-स्था०प्रशा० अधि० — 2014-015 Dated ..15/5/015

TO WHOM SOEVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment and Forest (MoEF), Government of India's letter No. 11-9/98-FC (pt.) dated 3rd August 2009 where in the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 ("FRA", for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes, it is Certified that **1.485 hectares** of forest land propused to be diverted in favour of Construction Division P.W.D. Srinagar Garhwal for **construction of Bhandari Gaon Garhsera Motor Road from Km. 14 of Dehalchori-Pauri Motor Road in Pauri distirct, Block Pauri** falls with in jurisdiction of **Dobha** village (s) in **Pauri**tehsils.

(a) The Complete process for identification and settlement fo rights under the FRA has been carried out for the entire **1.485 hectares** of forest land proposed for diversion. A copy of records of all consultation and meetings of the Forest Rights Committee(s), Gram Sabha(s), sub-Division Level Committee(s) and the District Level Committee are enclosed as **annexure 01To annexure 02**

(b) The proposal for such diversion (with full details of the project and its implications in vernacular/local langunge) have been placed befor each Concerned Gram Sabha of forest-dwellers who are eligible under the FRA.

(c) The each of Concerned Gram Sabha (s), has Certified that all formelities/ processes under the FRA have been Carried out, and that they have given their concent to the proposed diversion and the compensation and amelioretive measures, if any having understood the propuse and details of proposed diversion. A copy of Certificate issued by the Gram Sabha of **Dobha** villages is encloused as annexure 01 to annexure 02

(d) The discussion and dicisions on such proposels had taken pace only when their was a quorum of minnimum 50% of the members of Gram Sabha prsente.

(e) The diversion of forest land for Facilities managed by the Government as required under section 3(2) of the FRA have been completed and the Gram sabha have given their Conset to it.

(f) The rights of primitive drival groups and Pre-agircultural Communities, where applicable have been specifically safeguarded as per section 3(1) (e) of the FRA.

Encl: As above.

(Chandra Shekhar Bhatt)

District Collector Garhwal

DM/Collector Garhwal

It is further Certified that minutes of meeting for construction of Bhandari Gaon Garhsera Motor Road from Km. 14 of Dehalchori-Pauri Motor Road in Pauri distirct, Block Pauri regarding FRA is as following

Sl. No.		Remarks
(a)	The complete process of identification and settlement of rights under the FRA had been carried out for the entire **1.485 hectares** area proposed for diversion. A copy of record of all consultations and meeting of the fores rights committee (s), Sub Division Level Committee (s) are enclosed as annexure.	Yes Copy of record attached as there are no habitants belonging to Scheduled tribes and other traditional forest Dwellers.
(b)	The Deviersion of Forest land for facilities managed by the government as required under section 3(2) of the FRA have been completed and the gram sabhas have been givenconsent to it.	Yes Copy of record attached as there are no habitants belonging to Scheduled tribes and other traditional forest Dwellers. No objection Certificate concerned **villages Bhandari Gaon, Marora, Garhsera** regarding construction of aforesaid construction of motor road is attached.
(c)	The proposal does not involve recognized rights of primitive tribal groups and preagricultural Communities.	Yes Copy of record attached as there are no habitants belonging to Scheduled tribes and other traditional forest Dwellers.

Member District Bord
Pauri Garhwal

District Social Welfare Officer
Pauri Garhwal

Divisional Forest Officer
Pauri Garhwal

Executive Engineer
CD. PWD Srinagar

अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो० नि० वि०
श्रीनगर (गढ़वाल)

Deputy Commissioner-cum-Chairman
District Level Committee

दिनांक 15-05-2015 को जिलाधिकारी गढ़वाल की अध्यक्षता में आयोजित अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों को मान्यता) अधिनियम–2006 एवं तत्सम्बन्धी नियम 2007 के अन्तर्गत जिला स्तरीय समिति की बैठक का कार्यवृत्त।

बैठक में उपस्थिति रही :–

5. सर्व श्री चन्द्रशेखर भट्ट	जिलाधिकारी, गढ़वाल	अध्यक्ष।
6. श्री राजमणि पाण्डेय,	प्रभागीय वनाधिकारी गढ़वाल वन प्रभाग पौड़ी	सदस्य।
7. श्री रतन सिंह रावल,	जिला समाज कल्याण अधिकारी, पौड़ी	सदस्य।
8. श्रीमती हिमानी नेगी	जिला पंचायत सदस्य, पौड़ी	सदस्य।

बताया गया है कि **जनपद पौड़ी के अन्तर्गत विकास खण्ड पौड़ी में देहलचौरी–पौड़ी मोटर मार्ग के कि0मी0 14 से भण्डारी गांव गढ़सेरा मोटर मार्ग का निर्माण** हेतु वन भूमि का हस्तान्तरण होना प्रस्तावित है, जिनके प्रस्ताव प्राप्त किये गये है। उक्त मार्ग हेतु उपखण्ड स्तरीय समिति द्वारा वन अधिनियम 2006 के अन्तर्गत सभी कार्यवाही करते हुये निर्धारित प्रपत्र निर्गत किये गये है। मार्ग का विवरण निम्नवत है :–

1– **जनपद पौड़ी के अन्तर्गत विकास खण्ड पौड़ी में देहलचौरी–पौड़ी मोटर मार्ग के कि0मी0 14 से भण्डारी गांव गढ़सेरा मोटर मार्ग का निर्माण** :–इस मोटर मार्ग का निर्माण पूर्व निर्मित देहलचौरी पौड़ी मोटर मार्ग के कि0मी0 14.00 ग्राम डोभा की सीमा से आरम्भ होता है एवं ग्राम मरोड़ा की सीमा में समाप्त होता है। मार्ग की स्वीकृत लम्बाई 6.00 कि0मी0 है। इस मार्ग में 1650.00 मी0 सिविल भूमि तथा पूरे मार्ग में 4350 मी0 लम्बाई में नाप भूमि प्रभावित हो रही है। मोटर मार्ग निर्माण से प्रस्तावित भूमि पर कोई आदिवासी जनजाति एवं परम्परागत वनवासी प्रभावित नहीं हो रहे है। इस सम्बन्ध में उपखण्ड स्तरीय समिति द्वारा अपनी संस्तुति दी गई है। उक्त मार्ग के निर्माण से ग्राम डोभा, घौलड़ी, भण्डारी गांव, कण्डारी गांव, मरोड़ा, गढ़सेरा, की कुल 700 जनसंख्या लाभान्वित होगी। इन गांवों को जोड़ने हेतु कोई अन्य वैकल्पि मार्ग नहीं है, और ना ही प्रस्तावित है।

निर्णय

अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बन्धी नियम 2007 के अन्तर्गत गठित उपखण्ड स्तरीय समिति से प्राप्त खिर्सू ब्लाक में **जनपद पौड़ी के अन्तर्गत विकास खण्ड पौड़ी में देहलचौरी–पौड़ी मोटर मार्ग के कि0मी0 14 से भण्डारी गांव गढ़सेरा मोटर मार्ग का निर्माण** हेतु प्रस्तावित सिविल भूमि **1.485 है0** लो0नि0वि0 को उपखण्ड स्तरीय समिति की संस्तुति के आधार पर जनहित में सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी।

सभी उपस्थित सदस्यों को धन्यवाद ज्ञापित करते हुये बैठक का समापन किया गया।

(चन्द्रशेखर भट्ट)
आई0ए0एस0
जिलाधिकारी गढ़वाल

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0 श्रीनगर

दिनांक- 18/05/2015

पत्रांक 1163 /28सी0

1. प्रतिलिपि जिला समाज कल्याण अधिकारी, पौड़ी गढ़वाल को सूचनार्थ प्रेषित।
2. प्रतिलिपि प्रभागीय वनाधिकारी, सिविल एवं सोयम वन प्रभाग, पौड़ी को सूचनार्थ प्रेषित।

अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0
श्रीनगर गढ़वाल

प्रपत्र–23.2

परियोजना का नाम :– जनपद पौड़ी गढ़वाल के विकास खण्ड पौड़ी में देहलचौरी–पौड़ी मोटर मार्ग के कि0मी0 14 से भण्डारी गांव गढसेरा मोटर मार्ग का निर्माण।

कार्यालय उप जिलाधिकारी, पौड़ी
अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत
प्रमाण–पत्र
उपखण्ड स्तरीय समिति, पौड़ी

उपखण्ड **उपवनप्रभाग पौड़ी** परिक्षेत्र के अन्तर्गत **जनपद पौड़ी गढ़वाल** में विकास खण्ड पौड़ी **में देहलचौरी–पौड़ी मोटर मार्ग के कि0मी0 14 से भण्डारी गांव गढ़सेरा मोटर मार्ग** का निर्माण (**शून्य हे0** आरक्षित वन भूमि, 1.485 **हे0** सिविल एव सोयम वन भूमि **शून्य** हे0 वन पंचायत भूमि, अर्थात कुल 1.485 **हे0** वन भूमि) का लो0नि0वि0 प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति, (तहसील श्रीनगर) की **दि0** 25-2-15 को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरण

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक **श्री पी0एल0 शाह** उप जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है।

1–	श्री पी0एल0 शाह	उपजिलाधिकारी पौड़ी	अध्यक्ष
2–	श्री दिनेश गिरि	उप प्रभागीय वनाधिकारी पौड़ी	सदस्य
3–	श्रीमती गीता भारती	सहायक समाज कल्याण अधिकारी पौड़ी	सदस्य/सचिव
4–	श्री कैलाश सिंह थापा	बी0डी0सी0 क्षेत्र/ग्रा0प0वि0 अ0 पौड़ी	सदस्य

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुये उपजिलाधिकारी की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि **जनपद पौड़ी गढ़वाल में विकास खण्ड पौड़ी में देहलचौरी–पौड़ी मोटर मार्ग के कि0मी0 14 से भण्डारी गांव गढ़सेरा मोटर मार्ग का निर्माण** परियोजना हेतु **शून्य हे0** आरक्षित वन भूमि .... **हे0 सिविल भूमि** का लो0नि0वि0 प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला लम्बित नहीं है। उक्त भूमि का सम्बन्धित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गई है।

सम्बन्धित उप प्रभागीय वनाधिकारी, **पौड़ी** द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बन्धी नियम 2008 के प्राविधान को स्पष्ट करते हुये जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि वन अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस सम्बन्ध में ग्राम सभा/पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वार अनापत्ति जारी की जा सकती है।

बैठक में सर्वसम्मति से उपखण्ड **पौड़ी** परिक्षेत्र के अन्तर्गत जनपद पौड़ी गढ़वाल में विकास **खण्ड पौड़ी में देहलचौरी–पौड़ी मोटर मार्ग के कि0मी0 14 से भण्डारी गांव गढ़सेरा मोटर मार्ग** का निर्माण परियोजना के निर्माण हेतु 25-2-15 **है0 सिविल एवं सोयम भूमि** लो0नि0वि0 प्रयोक्ता एजेन्सी को जनहित में सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी।

उप जिलाधिकारी / अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील– पौड़ी
जनपद– पौड़ी गढ़वाल

उप प्रभागीय वनाधिकारी
सिविल एवं सोयम वन प्रभाग
पौड़ी (गढ़वाल)

अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो० नि० वि०
पौड़ी (गढ़वाल)

प्रतिलिपि :– जिलाधिकारी गढवाल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

उप जिलाधिकारी / अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील– पौड़ी
जनपद– पौड़ी गढ़वाल

ADO (S.W.) Pauri

सहायक समाज कल्याण अधिकारी
विकास खण्ड ...... पौड़ी
जनपद ......

ग्राम पंचायत विकास अधिकारी
ग्राम पंचायत...... Simri
विकास खण्ड...... पौड़ी

तहसीलदार
पौड़ी गढवाल

हरीश चन्द्र पाण्डेय
राजस्व उप निरीक्षक
राजस्व पुलिस उत्तराखण्ड
क्षेत्र Sbalkot
तहसील पौड़ी, गढवाल

कृते जिलाधिकारी
गढ़वाल

परगना मजिस्ट्रेट
बारहस्यूं, पौड़ी गढ़वाल

प्रपत्र—23

परियोजना का नाम :— जनपद पौड़ी गढ़वाल के विकास खण्ड पौड़ी में देहलचौरी—पौड़ी मोटर मार्ग के कि0मी0 14 से भण्डारी गांव गढसेरा मोटर मार्ग का निर्माण।

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण—पत्र

ग्राम पंचायत का नाम ....डोभा....
तहसील पौड़ी जिला पौड़ी गढ़वाल

अनापत्ति प्रमाण पत्र

जिला पौड़ी गढ़वाल उत्तराखण्ड में जनपद पौड़ी गढ़वाल में विकास खण्ड पौड़ी में देहलचौरी—पौड़ी मोटर मार्ग के कि0मी0 14 से भण्डारी गांव गढसेरा मोटर मार्ग का निर्माण। परियोजना के निर्माण हेतु (शून्य हे0 आरक्षित वन भूमि, 1.485 हे0 सिविल सोयम भूमि शून्य हे0 वन पंचायत भूमि) अर्थात कुल 1.485...... हे0 वन भूमि का लो0नि0वि0 विभाग / संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत ....डोभा.................. द्वारा दि0 25-2-15 को सम्पन्न ग्राम सभा / ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के सम्बन्ध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा / कृषि कार्य अथवा नहीं। उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा / कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया / प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम ....डोभा.............. के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि लो0नि0वि0 प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एंव सही है।

ह0 / — ह0 / —

ग्राम सचिव ग्राम प्रधान

नोट :— यदि किसी आदिवासी अथवा वनवासी की निजी भूमि प्रभावित हो रही है, तो तदनुसार उसका विवरण उक्त प्रपत्र में दिया जाय।

उक्त प्रपत्र प्रयोक्ता एजेन्सी के द्वारा प्राप्त कर प्रस्ताव के साथ संलग्न किया जाना है।

प्रपत्र–23.1

दिनांक 28/1/2015 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत

क्रमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1-	ध्रुवदत्त डोभाल	ध्रुवदत्त डोभाल
2	ग्राम प्र०	ग्राम प्र०
3-	शिवानन्द गुयाल	[illegible]
4-	श्यामा प्रसाद अरखोला	[illegible]
5-	~~श्यामा प्रसाद अरखोला~~ सुरेश डोभाल	[illegible]
6-	नन्द किशोर डोभाल	[illegible]
7	रुपेश डोभाल	[illegible]
8	अरुण डोभाल	अरुण
9-	रमेश चन्द्र डोभाल	[illegible]
10-	अनिल नेल्वानी	[illegible]
11	मदनलाल	मदनलाल
12	सोहन चन्द्र डोभाल	[illegible]
13-	शंकर प्रसाद नेल्वानी	Sankar
14-	योगेश चन्द्र डोभाल	[illegible]

28/1/2015

प्रपत्र–23.1

दिनांक 28/1/2015 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत

क्रमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1-	ध्रुवदत्त डोभाल	ध्रुवदत्त डोभाल
2	ग्रा०प्र०	ग्रा०प्र०
3-	शिवानन्द [illegible]	[illegible]
4-	श्यामा प्रसाद भरखोला	[illegible]
5-	~~श्यामा प्रसाद भरखोला~~ सुरेश डोभाल	[illegible]
6 -	नन्द किशोर डोभाल	[illegible]
7	रुपेश डोभाल	[illegible]
8	अरुण डोभाल	अरुण
9 -	रमेश चन्द्र डोभाल	[illegible]
10 -	अनिल नैथानी	[illegible]
11	मदनलाल	मदनलाल
12	सोहन चन्द्र डोभाल	[illegible]
13 -	शंकर प्रसाद नैथानी	Shankar
14-	[illegible] चन्द्र डोभाल	[illegible]

[illegible] 28/1/2015